रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 2—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1973/पौष 11, 1894
No. 6] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1973/PAUSA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

27 JAN 1973

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 1973

S.O. 6(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby directs that the undertaking of the existing insurer (not being an Indian insurance company within the meaning of the Act), namely, the Life Insurance Corporation, in so far as it relates to the general insurance business carried on by it, which stands transferred to and vested in the Central Government on the 1st day of January, 1973, being the appointed day under that section, shall, with immediate effect, be transferred to and vested in the four Indian insurance companies hereinafter specified, and the said transfer and vesting shall, without prejudice to the generality of the provisions of section 6 of the Act be given effect to, in such manner and subject to such conditions as hereinunder provided, namely:—

Manner in which and the conditions subject to which the undertaking is transferred and vested

1. *New India Assurance Company Limited.*

(1) (a) All liabilities,

(b) assets equal to the said liabilities, and

(c) all rights and obligations,

arising out of or relatable to the general insurance business carried on by the Divisions of the Life Insurance Corporation situated in the Western Zone of that

Corporation shall stand transferred to and be vested in the New India Assurance Company Limited.

(2) (a) All liabilities,

(b) assets equal to the said liabilities, and

(c) all rights and obligations,

arising out of or relatable to the business of guarantees and of the business of crop insurance carried on by the Central Office of the Life Insurance Corporation shall stand transferred to and be vested in the New India Assurance Company Limited.

2. *National Insurance Company Limited.*

(a) All liabilities

(b) assets equal to the said liabilities, and

(c) all rights and obligations,

arising out of or relatable to the general insurance business carried on by the Divisions of the Life Insurance Corporation situated in the Eastern Zone of that Corporation shall stand transferred to and be vested in the National Insurance Company Limited.

3 *Oriental Fire and General Insurance Company Limited.*

(a) All liabilities

(b) assets equal to the said liabilities, and

(c) all rights and obligations,

arising out of or relatable to the general insurance business carried on by the Divisions of the Life Insurance Corporation situated in the Northern and Central Zones of that Corporation shall stand transferred to and be vested in the Oriental Fire and General Insurance Company Limited.

4. *United India Fire and General Insurance Company Limited.*

(a) All liabilities,

(b) assets equal to the said liabilities, and

(c) all rights and obligations,

arising out of or relatable to the general insurance business carried on by the Life Insurance Corporation which are not covered in the preceding paragraphs, including.

(a) All liabilities,

(b) assets equal to the said liabilities, and

(c) all rights and obligations,

arising out of or relatable to the reinsurance of general insurance business ceded or accepted by that Corporation, shall stand transferred to and be vested in the United India Fire and General Insurance Company Limited.

Explanation.—For the purpose of ascertaining the assets and liabilities, of the respective Zones or Offices abovementioned of the Life Insurance Corporation, which stand transferred to and vested in Indian Insurance Companies under this Notification, the following basis shall be adopted, namely:—

PART I

Liabilities.—The liabilities shall be arrived at in the following manner namely:—

(1) reserves for unexpired risks in respect of each policy at 100 per cent for marine business and 50 per cent for all other business;

(ii) the total amount of all other liabilities existing on the appointed day, including all contingent liabilities at values actually provided for in the books of the Life Insurance Corporation.

PART II

Assets.—The assets shall be valued on the following basis, namely:—

(a) the market value of any land or buildings;

(b) the market value of any securities, shares, debentures, bonds and other investments.

Explanation to clause (b):—

(i) securities of the Central Government, such as Post Office Certificates and Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued or to be issued under the Small Savings Scheme of the Central Government, shall be valued at their encashable value as on the appointed day;

(ii) where the market value of any Government security such as the Zamindari Abolition Bonds or other similar security, in respect of which the principal is payable in instalments, is not ascertainable or is, for any reason, not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such an amount as is considered reasonable, having regard to period during which such instalments are payable, the the instalments of principal and interest remaining to be paid, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors;

(iii) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period;

(iv) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividend paid by it during the preceding five years and other relevant factors;

(c) the total amount of the premium paid in respect of all leasehold properties, reduced in the case of each such premium by an amount which bears to such premium the same proportion as the expired term of the lease in respect of which such premium shall have been paid bears to the total term of the lease;

(d) the written down value as per books, or the realisable value, as may be considered reasonable, of all furniture, fixtures and fittings;

(e) the amount of debts due to the Life Insurance Corporation, whether secured or unsecured, to the extent to which they are reasonably considered to be recoverable;

(f) the amount of cash, whether in deposit with a bank or otherwise;

(g) the market or realisable value, as may be appropriate, of other assets appearing on the books of the insurer, no value being allowed for capitalised expenses, such as organisational expenses, losses incurred and similar other items.

[No. F. 64(32)-Ins.I/72]

A. RAJAGOPALAN,

Officer on Special Duty & *Ex-officio* Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1973

एस० ओ० 6(अ).—साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण,) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश करती है कि विद्यमान बीमाकर्ता अर्थात्, जीवन बीमा निगम (जो अधिनियम के अर्थ में भारतीय बीमा कम्पनी नहीं है) का उपक्रम, वहां तक जहां तक कि उसका सम्बन्ध उसके द्वारा चलाए जा रहे साधारण बीमा के कारबार से है, जो कि 1 जनवरी, 1973, अर्थात्, उक्त धारा के अधीन नियत दिन से केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो चुका है, अव्यवहित प्रभाव से चार भारतीय बीमा कम्पनियों, जो इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट हैं, को अन्तरित और उनमें निहित हो जाएगा तथा उक्त अन्तरण और निहितन, अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित हैं, प्रभावी होगा, अर्थात् :—

वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए उपक्रम अन्तरित और निहित किया जाता है

1. न्यू इण्डिया ऐश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।

(1) (क) सभी दायित्व,

(ख) उक्त दायित्वों के समतुल्य आस्तियां, और

(ग) सभी अधिकार और बाध्यताएं,

जो जीवन बीमा निगम के खण्डों (डिवीजनों) द्वारा, जो कि उक्त निगम के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं, चलाए जा रहे साधारण बीमा कारबार से उद्भूत हों अथवा उनसे सम्बन्धित हों, न्यू इण्डिया ऐश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(2) (क) सभी दायित्व,

(ख) उक्त दायित्वों के समतुल्य आस्तियां, और

(ग) सभी अधिकार और बाध्यताएं,

जो जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे फसल बीमा के कारबार तथा गारन्टियों के कारबार से उद्भूत हों अथवा उनसे सम्बन्धित हों, न्यू इण्डिया ऐश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

2. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(क) सभी दायित्व,

(ख) उक्त दायित्वों के समतुल्य आस्तियां, और

(ग) सभी अधिकार और बाध्यताएं,

जो जीवन बीमा निगम के खण्डों (डिवीजनों) द्वारा, जो कि उक्त निगम के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं, चलाए जा रहे साधारण बीमा कारबार से उद्भूत हों अथवा उनसे सम्बन्धित हों, नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

3. ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(क) सभी दायित्व,

(ख) उक्त दायित्वों के समतुल्य आस्तियां, और

(ग) सभी अधिकार और बाध्यताएं,

जो जीवन बीमा निगम के खण्डों (डिवीजनों) द्वारा, जो कि उक्त निगम के उत्तरी और केन्द्रीय क्षेत्रों में स्थित हैं, चलाए जा रहे साधारण बीमा कारबार से उद्भूत हों अथवा उनसे सम्बन्धित हों, ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

4. युनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(क) सभी दायित्व,

(ख) उक्त दायित्वों के समतुल्य आस्तियां, और

(ग) सभी अधिकार और बाध्यताएं,

जो जीवन बीमा निगम द्वारा चलाए जा रहे साधारण बीमा कारबार से उद्भूत हों अथवा उनसे सम्बन्धित हों, जो इससे पूर्ववर्ती पैराओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं,

(क) उन सभी दायित्वों,

(ख) उक्त दायित्वों के समतुल्य उन सभी आस्तियों, और

(ग) उन सभी अधिकारों और बाध्यताओं को सम्मिलित करते हुए,

जो उक्त निगम द्वारा अभ्यर्पित और स्वीकृत साधारण बीमा के पुनर्बीमाकरण के कारबार से उद्भूत हों अथवा उनसे सम्बन्धित हों, युनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण :—

जीवन बीमा निगम के ऊपर उल्लिखित सम्बन्धित क्षेत्रों अथवा कार्यालयों की उन आस्तियों और दायित्वों को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जो इस अधिसूचना के अधीन भारतीय बीमा कम्पनियों को अन्तरित या उनमें निहित हो गए हैं, निम्नलिखित आधार अपनाया जाएगा, अर्थात् :—

भाग 1

दायित्व :—

दायित्वों की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :—

(i) नौवहन कारोबार के लिए प्रत्येक पालिसी की बाबत अनवसित जोखिमों के लिए आरक्षण प्रत्येक पालिसी पर सौ प्रतिशत और सभी अन्य कारोबारों के लिए प्रत्येक पालिसी पर पचास प्रतिशत;

(ii) नियत दिन पर विद्यमान सभी अन्य दायित्वों का, जिसमें सभी आकस्मिक दायित्व भी हैं, जीवन बीमा निगम की बहियों मे उपबन्धित वास्तविक मूल्य के अनुसार कुल मूल्य ।

भाग 2

आस्तियां :—

आस्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) जमीन और भवनों का बाजार मूल्य;

(ख) प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेन्चरों, बोन्डों और विनिधानों का बाजार मूल्य ।

खण्ड (ख) का स्पष्टीकरण :—

(i) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां जैसे कि डाकखाना प्रमाण पत्र और कोषागार बचत जमा प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रतिभूतियां या प्रमाण पत्र जो केन्द्रीय सरकार की अल्पबचत स्कीम के अन्तर्गत जारी किए जाएं या किए जाने हों, नियत दिन पर उनके नकदी मूल्य के आधार पर मूल्यांकित की जाएंगी ;

(ii) जहां किसी सरकारी प्रतिभूति जैसे कि जमींदारी उन्मूलन बोन्ड अथवा अन्य ऐसी ही प्रतिभूति का जिसके सम्बन्ध में मूलधन किश्तों में देय है, बाजार मूल्य अभिनिश्चित न किया जा सकता हो अथवा किसी कारणवश उसका सही मूल्य अथवा समुचित मूल्य न माना जा सकता हो वहां उस प्रतिभूति का मूल्यांकन ऐसी रकम पर किया जाएगा जो मूलधन की किश्तों और देय ब्याज, वह अवधि जिसके दौरान ऐसी किश्तें देय है, तथा सरकार द्वारा जारी की गई किसी प्रतिभूति के फल को, जिसकी कि वह प्रतिभूति है, और जिसकी वही अथवा लगभग वह परिपक्वता है, को तथा अन्य सुसगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा;

(iii) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेन्चर, बोन्ड अथवा अन्य विनिधान का बाजार मूल्य, इन कारणों से कि वह मूल्य किन्हीं असामान्य कारणों से प्रभावित हुआ है, युक्तियुक्त न समझा जाए वहां विनिधान का मूल्यांकन किसी युक्तियुक्त अवधि के दौरान उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा;

(4) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेन्चर, बोन्ड अथवा अन्य विनिधान का बाजार मूल्य अभिनिश्चित न किया जा सकता हो वहां केवल उतना मूल्य, यदि कोई हो, गणना में लिया जाएगा जितना कि उन्हें जारी करने वाले की वित्तीय स्थिति को, उसके द्वारा पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान दिए गए लाभांश को और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए युक्तियुक्त समझा जाए;

(ग) सभी पट्टाधृत सम्पत्तियों की बाबत दिए गए प्रीमियम की कुल रकम, उसमे से ऐसे प्रत्येक प्रीमियम की दशा में उतनी रकम घटा कर जो उस अनुपात के समतुल्य हो जो कि पटटे की कुल अवधि तथा पट्टे की उस अवसित अवधि जिसकी बाबत प्रीमियम दिया गया होता, के बीच है,

(घ) कुल फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंगों का बहियों में दिखाए गए के अनुसार अवलिखित मूल्य अथवा ऐसा उठाया जा सकने वाला मूल्य जो युक्तियुक्त समझा जाए;

(ङ) जीवन बीमा निगम की तरफ निकलने वाले ऋणों की, चाहे वह प्रतिभूत हों अथवा अप्रतिभूत, रकम वहां तक जहां तक वह ऋण युक्तियुक्त रूप से उगाहे जा सकने वाले समझा जाए;

(च) नकद रकम चाहे वह किसी बैंक में जमा हो अथवा अन्यथा रखी हो;

(छ) बीमाकर्ता की बहियों में दर्ज अन्य आस्तियों का बाजार मूल्य अथवा उठाया जा सकने वाला मूल्य, जो भी समुचित हो। पंजीकृत व्ययों के लिए, जैसा कि संगठन सम्बन्धी व्यय उपगत हानियां और ऐसी ही अन्य मदों के लिए कोई भी रकम स्वीकार नहीं की जाएगी।

[सं० फा० 64(32)-आई०एन०एस० ना०/72]

अ० राजागोपालन,

विशेष कार्य अधिकारी तथा पदेन अतिरिक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973